

प्रेषक,

आशीष तिवारी,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)  
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन  
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार  
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक ०९ मार्च, 2019

विषय:- जनपद-अम्बेडकरनगर में माईओन ईको एनर्जी प्रा० लि० द्वारा फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग (एस०एच०-30) के किमी० 166 से 167 के मध्य दांयी पटरी पर स्थित गाटा सं०-327मि, ग्राम-तिवारीपुर, तहसील-अकबरपुर, जिला-अम्बेडकरनगर में प्रस्तावित बायो डीजल पम्प के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.091195 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-1409/11-सी/एफपी/यूपी/अदर्स/35115/2018 दिनांक 16-01-2019 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जनपद-अम्बेडकरनगर में माईओन ईको एनर्जी प्रा० लि० द्वारा फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग (एस०एच०-30) के किमी० 166 से 167 के मध्य दांयी पटरी पर स्थित गाटा सं०-327मि, ग्राम-तिवारीपुर, तहसील-अकबरपुर, जिला-अम्बेडकरनगर में प्रस्तावित बायो डीजल पम्प के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.091195 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृक्षों के पातन की अनुमति मांगी गयी है।

2- अतएव उक्त प्रस्ताव की एक प्रति मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अंतर्गत नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


  
(आशीष तिवारी)  
विशेष सचिव।

संख्या-पी-3(1)/14-2-2019-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी सरयू वृत्त फैजाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी, अम्बेडकरनगर वन प्रभाग, अम्बेडकरनगर।
- 4- टेरीटरी मैनेजर, माई ओन एनर्जी प्रा० लि०, 307-308, साइबर हाइट्स, 3 फ्लोर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामने, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(डॉ० दीपक कोहली)  
उप सचिव।